संख्या- 83/पचासी-14-10(परती भूमि)/08टी.सी.

प्रेषक,

राकेश कुमार ओझा
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भू-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2014

विषय:- उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा सृजित अस्थाई पदों की निरन्तरता की स्वीकृति ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1ए/206/(वाल्यूम-।।।।)/962/1, दिनांक 18.01.2014 के सन्दर्भ मे तथा परती भूमि विकास विभाग के शासनादेश संख्या-89/पचासी-2008-10(परती भूमि)/08, दिनांक 02.09.2008, शासनादेश संख्या-158/पचासी-2008-10(परती भूमि)/08, दिनांक 17.10.2008, शासनादेश संख्या-174/पचासी-2009-10(परती भूमि)/08टी.सी.(क), दिनांक 20 मई, 2009 तथा शासनादेश संख्या-129/पचासी-2009-10(परती भूमि)/08, दिनांक 25 मई, 2009 एवं शासनादेश संख्या-451/पचासी-परती-2011-10(परती भूमि)/08टी.सी.-क, दिनांक 17.10.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा सृजित कुल 776 अस्थाई पदों को, वित्तीय वर्ष 2013-14 में दिनांक 28.02.2014 तक निरन्तर चलते रहने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-133/पचासी-2013-10(परती भूमि)/08टी.सी., दिनांक 13 मई, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

2- इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-222/पचासी-परती-2013, दिनांक 24.06.2013 द्वारा विभिन्न प्रकृति के 53 पद एवं शासनादेश संख्या-647/पचासी-2012-328-पचासी-परती-2012, दिनांक 16.07.2013 द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रक्षेत्र विकास एवं जल निकास) के अस्थायी पद वेतनमान रूपये 15600-39100, ग्रेड-पे 6600 में दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि तक के लिए कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- चूँकि उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा संचालित यू0पी0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना-तृतीय के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु पदों को बनाये रखने के लिए आवश्यक बताया गया है, अत: उक्त प्रस्तर-1 व 2 में उल्लिखित शासनादेश क्रमश: दिनांक 13.05.2013, 24.06.2013 एवं 16.07.2013 में निधारित शर्तो एवं प्रतिबन्ध के अधीन, प्रश्नगत 830 अस्थायी पदों की निरन्तरता चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक बनाये रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4- यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2-877/दस-92-24(87)/92, दिनांक 17.11.1992 मे उल्लिखत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

संख्या- 83(1)/पचासी-14-10(परती भूमि)/08टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा परीक्षा,उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार ओझा)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in